संख्या- 92/2015/403/22-4-15-119(ब)/2000टी0सी0-8(ए)

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 **लखनऊ दिनांक- 29 मार्च, 2015**

विषय- प्रदेश की कारागारों एवं जनपद न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्षों के निर्माण प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3891/नम-2, दिनांक 6 फरवरी, 2015 एवं पत्र संख्या-8926/नम-2, दिनांक 18 मार्च, 2015 के संदर्भ में शासनादेश संख्या- 90/2015/382/22-4-15-119(ब)/2000टी0सी0-8(ए), दिनांक 29 मार्च, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की 26 कारागारों एवं 24 जनपद न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग कक्षों के निर्माण हेतु संलग्न सूची के अनुसार 50 यूनिट्स के लिए यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है। उक्त कार्य हेतु मृदा की क्षेणी के अनुसार लागत का निर्धारण निम्नवत किया गया है :-

(धनराशि रूपया लाख में)

क्र0	कारागार हेतु	कक्षों की संख्या	लागत/दरें	क्र0	न्यायलय हेतु	कक्षों की संख्या	लागत/दरें
1	2	3	4	5	6	7	8
1	साधारण मृदा हेतु	23	25.84	1	साधारण मृदा हेतु	21	43.50
2	लवणयुक्त मृदा हेतु	03	27.62	2	लवणयुक्त मृदा हेतु	03	46.62
	योग-	**26**			**योग-**	**24**	

2- अतः सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश के 26 कारागारों एवं 24 जनपद न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्षों के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उपरोक्त तालिका में उल्लिखित मृदावार धनराशियों के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में रू0 4,00,00,000/-(रूपया चार करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप महानिरीक्षक कारागार/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(2) महानिरीक्षक कारागार/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) प्रश्नगत योजना के प्रस्ताव/आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है। अतः इस मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एंव विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत प्रायोजना का सम्बन्धित जनपद के एस0ओ0आर0 पर विस्तृत आगणन गठित किया जाय एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी से सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ किया जाय।

(4) महानिरीक्षक कारागार द्वारा मानकीकरण के आधार पर वित्तीय स्वीकृति उन्ही प्रायोजनाओं हेतु दी जाय, जिन प्रायोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध हो।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय उसी मद में किया जायेगा।

(7) लेबरसेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(8) स्वीकृत धनराशि बैक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(9) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2015 तक कर लिया जाय।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-"4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय -800-अन्य व्यय-16- प्रदेश के कारागारों एवं जनपद न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेसिंग प्रणाली की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जान रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या-**92**/2015/403(1)/22-4-2015-तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-92/403/2015/403/22-4-2015-119(ब)/2000टीसी-8(ए), दिनांक-29 मार्च, 2015 संलग्नक (सूची-2)

कार्यदायी संस्था-यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन

(अ) साधारण मिट्टी हेतु - **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्र0	कारागारें	अनुमानित लागत	जनपद न्यायालय	अनुमानित लागत	योग
1	2	3	4	5	6
1	जिला कारागार, बदायूँ	25.84	बदायूँ	43.50	69.34
2	जिला कारागार, शाहजहाँपुर	25.84	शाहजहाँपुर	43.50	69.34
3	जिला कारागार, पीलीभीत	25.84	पीलीभीत	43.50	69.34
4	जिला कारागार, बिजनौर	25.84	बिजनौर	43.50	69.34
5	जिला कारागार, रायबरेली	25.84	रायबरेली	43.50	69.34
6	जिला कारागार, उन्नाव	25.84	उन्नाव	43.50	69.34
7	जिला कारागार, हरदोई	25.84	हरदोई	43.50	69.34
8	जिला कारागार, सीतापुर	25.84	सीतापुर	43.50	69.34
9	जिला कारागार, खीरी	25.84	खीरी	43.50	69.34
10	जिला कारागार, कानपुर देहात	25.84	कानपुर देहात	43.50	69.34
11	जिला कारागार, फतेहगढ़	25.84	फतेहगढ़	43.50	69.34
12	जिला कारागार, सहारनपुर	25.84	सहारनपुर	43.50	69.34
13	जिला कारागार, फतेहपुर	25.84	फतेहपुर	43.50	69.34
14	जिला कारागार, प्रतापगढ़	25.84	प्रतापगढ़	43.50	69.34
15	जिला कारागार, जौनपुर	25.84	जौनपुर	43.50	69.34
16	जिला कारागार, महाराजगंज	25.84	महाराजगंज	43.50	69.34
17	जिला कारागार, देवरिया	25.84	देवरिया	43.50	69.34
18	जिला कारागार, बस्ती	25.84	बस्ती	43.50	69.34
19	जिला कारागार, सिद्वार्थनगर	25.84	सिद्वार्थनगर	43.50	69.34
20	जिला कारागार,बाराबंकी	25.84	बाराबंकी	43.50	69.34
21	जिला कारागार, सुलतानपुर	25.84	सुलतानपुर	43.50	69.34
22	केन्द्रीय कारागार, बरेली	25.84	-	-	25.84
23	केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़	25.84	-	-	25.84
	(ब) लवण युक्त मिट्टी				
24	जिला कारागार, मथुरा	27.62	मथुरा	46.62	74.24
25	जिला कारागार, एटा	27.62	एटा	46.62	74.24
26	केन्द्रीय कारागार, आगरा	27.62	-	-	27.62
27	-	-	कासगंज	46.62	46.62
	कुल योग-	677.18	-	1053.36	1730.64

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in